



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02022026-269774
CG-DL-E-02022026-269774

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 442]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 2, 2026/माघ 13, 1947

No. 442]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 2, 2026/MAGHA 13, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2026

का.आ. 471(अ).— अतः केन्द्रीय सरकार, को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गुजरात राज्य के रानीपुर, मोदीपुर और जोटाणा गाँव, तहसील- जोटाणा, जिला महेसाणा में JTN#10 से जोटाणा जीजीएस तक मौजूदा आर ओ यु से जुड़ने के लिए ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और उस पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जो इस अधिसूचना के उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा करती हैं।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, वह इस अधिसूचना के इक्कीस दिन के भीतर, सक्षम प्राधिकारी, ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, भूमि अधिग्रहण विभाग, के डी एम भवन, पालावासना, मेहसाना - 384003, गुजरात को लिखित रूप से पाईपलाईन विछाने का विरोध व्यक्त कर सकेगा।

और ऐसा विरोध व्यक्त करने वाला हर व्यक्ति विशेष रूप से यह भी कथन करेगा की क्या वह चाहता है की उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यावसायी द्वारा ।

अनुसूची

पाइप लाइन फॉर ड्रिल साइट JTN#10 से जोटाणा जीजीएस तक मौजूदा आर ओ यु से जुड़ने के लिए

तालुका: - जोटाणा

जिला- मेहसाणा

राज्य- गुजरात

गाँव का नाम		सर्वे / ब्लोक नं.	भाग यदि कोई हो	क्षेत्रफल		
				हेक्टर	आर	सेन्टीआर
1		2	3	4		
1	रानीपुर	76		00	12	00
2	मोदीपुर	38		00	03	50
3		39		00	10	40
4		80		00	06	50
5		104		00	08	40
6	जोटाणा	536		00	01	00
7		527		00	16	30
8		526		00	05	90
9		525		00	11	40
10		524		00	07	70
11		522		00	10	00
12		521		00	09	85
13		520		00	06	70
14		517		00	08	50
15		452		00	03	75
16		455		00	18	70
17		456		00	17	20
18		457		00	11	50
19		445		00	11	00
20		444		00	08	45
21		435		00	08	90
22		436		00	09	85
23		437		00	13	60
24		438		00	01	00
25		432		00	08	35
26		249		00	04	15
27		242		00	35	85

28		241		00	07	40
29		239		00	13	50
30		238		00	10	80
31		237		00	09	65
32		235		00	14	55
33		234		00	15	50
34		232		00	14	10
35		198		00	26	70
36		230		00	91	35
37		219		00	01	00
38		218		00	23	85
39		215		00	09	25
40	जोटाणा	213		00	02	20
41		105		00	19	15
42		106		00	09	50
43		107		00	04	90
44		108		00	04	60
45		109		00	00	15
46		1469		00	02	65
47		162		00	19	30
48		112		00	04	50
49		142		00	23	30
50		144		00	09	05
51		145		00	09	25
52		146		00	09	25
53		137		00	06	90
			कुल क्षेत्रफल	06-32-80		

[फा. सं. इएक्सपीएल-13011(26)/2/2026-इएक्सपीएल- पीएनजी(ई-55097)]

रघुराम कृष्णा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2026

S.O. 471(E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that from Drill Site JTN#10 TO JOTANA GGS, TO INTERCONNECT WITH EXISTING ROU through RANIPUR, MODIPUR & JOTANA Villages, Taluka Jotana, Mehsana District, Gujarat State, pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Corporation Limited.

AND WHEREAS it appears that for the purpose of laying such a pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in land described in the Schedule annexed hereto: -

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section-3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

PROVIDED THAT any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Corporation Limited, Land Acquisition Department, KDM Bhavan, Palavasana, MEHSANA-384003, GUJARAT.

AND every person making such an objection shall also state specifically whether he/she wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

PIPE LINE FOR DRILL SITE JTN#10 TO JOTANA GGS TO INTERCONNECT WITH EXISTING ROU

TALUKA: - JOTANA

DISTRICT: - MEHSANA

STATE: - GUJARAT

Name of village		Survey No./Block No.	Part if any	Area		
				Hq.	Are	Sq. mtr.
1		2	3	4		
1	Ranipur	76		00	12	00
2	Modipur	38		00	03	50
3		39		00	10	40
4		80		00	06	50
5		104		00	08	40
6	Jotana	536		00	01	00
7		527		00	16	30
8		526		00	05	90
9		525		00	11	40
10		524		00	07	70
11		522		00	10	00
12		521		00	09	85
13		520		00	06	70
14		517		00	08	50
15		452		00	03	75
16		455		00	18	70
17		456		00	17	20
18		457		00	11	50
19		445		00	11	00
20		444		00	08	45
21		435		00	08	90
22		436		00	09	85
23		437		00	13	60
24		438		00	01	00
25		432		00	08	35
26		249		00	04	15
27		242		00	35	85
28		241		00	07	40
29		239		00	13	50
30		238		00	10	80
31		237		00	09	65
32		235		00	14	55

33		234		00	15	50
34		232		00	14	10
35		198		00	26	70
36		230		00	91	35
37		219		00	01	00
38	Jotana	218		00	23	85
39		215		00	09	25
40		213		00	02	20
41		105		00	19	15
42		106		00	09	50
43		107		00	04	90
44		108		00	04	60
45		109		00	00	15
46		1469		00	02	65
47		162		00	19	30
48		112		00	04	50
49		142		00	23	30
50		144		00	09	05
51		145		00	09	25
52		146		00	09	25
53		137		00	06	90
			Total Area	06-32-80		

[F. No. Expl-13011(26)/2/2026-EXPL-PNG (E-55097)]

REGHURAM KRISHNA, Under Secy.